उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//विज्ञप्ति//

क्रमांक : 452/परीक्षा/2020 जबलपुर, दिनाँक– 07/02/2020

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (M.P.S.L.S.A.), जबलपुर में निज सचिव, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड–3 के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा वर्ष–2020

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	26/02/2020 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	16/03/2020 (11.59 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि–	20/03/2020 (12.00 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि–	23/03/2020 (11.59 PM)
ऑनलाईन मुख्य परीक्षा दिनांक :	**बाद में अधिसूचित किया जावेगा**

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाईन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पदों की अनुमानित संख्या :–

क्रमांक	पद का नाम	श्रेणी							कुल पद
		अनारक्षित			अनु0 जनजाति				
		सामान्य	महिला	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग (अस्थिबाधित)	
1	निज सचिव	1			-	-	-	-	1
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2			1	-	-	-	3
3	सहायक ग्रेड–3	-			7	5	2	1	15

नोट– ट्राँसजेंडर अपने संबंधित प्रवर्ग में आवेदन कर सकते है।

(दो)–पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें:–

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
निज सचिव (42700-135100)	1. अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। 2. शार्टहैण्ड/टाईपिंग की मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 100 wpm अंग्रेजी शार्टहैण्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना आवश्यक है।
कम्प्यूटर ऑपरेटर (19500-62000)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो।

सहायक ग्रेड–3 (19500-62000)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो । 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।

(तीन)–संबंधित पदों हेतु टीप :–

(1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी–3–11 08/3/एक दिनांक 12.06.2009 तथा परिपत्र क्रं.सी–3–8/2013/1/3 दिनांक–01.07.2013 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगें :–

1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. M. O. M. Course from Govt. Polytechnic College.
5. Computer Operator & Programming Assistant(COPA) from I.T.I.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। **(जैसा कि माननीय म0प्र0उच्चन्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010 (S) जबलपुर–राकेश यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 तथा अन्य आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया हैं)**

(चार)–आयु की गणना :–

दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति मे किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(पाँच)–आरक्षण संबंधी टीपः–

(1) **म.प्र. राज्य के बाहर के अजा./अजजा./अपिव. वर्ग के आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें।** अ0ज0जा0 वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अ0ज0जा0 वर्ग के लिए आरक्षित है।

(2) **केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अ0ज0जा0 वर्ग** के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(छैः)–नियुक्ति संबंधी टीपः–

(अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(ब) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(सात)–चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अहर्ता एवं जानकारी :–

(1) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो–

(क) उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नियां (जैसी भी स्थिति हो) है। इसी प्रकार उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) जीवित हो।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी। यदि अपने नियोजित होने के संबंध में जानकारी छिपायी जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जावेगी तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

(4) केन्द्र या राज्य सरकार के या केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि उसके विरूद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जाँच लंबित हो।

(6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में मूल फोटो परिचय–पत्र भी लाना आवश्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय–पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं।

(8) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य संरक्षक महोदय, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को है।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज (उत्तीर्ण होने का) संलग्न नहीं करता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(11) ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई समस्त त्रुटियों के सुधार हेतु ऑनलाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिन का समय प्रदान किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाईन फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि की है वे उक्त त्रुटि का सुधार कर सकते है, तिथि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा तथा उपरोक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि श्रेणी/जन्मतिथि/विकलांगता/लिंग एवं आपराधिक प्रकरण के संबंध में की गई त्रुटि का सुधार कार्य नहीं किये जाने पर तथा संज्ञान में आने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।

(12) आरक्षित वर्ग (अनु.ज.जाति) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7–13/2004/आ.–प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(13) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हों तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

(आठ)–अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये मुख्य परीक्षा में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
9. यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, लिंग, अर्हता अथवा श्रेणी से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रकिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

नोटः कोई भी आवेदक जो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करता है तो यह माना जावेगा कि उसे विज्ञापन की सभी शर्ते मान्य है एवं उसे किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

खण्ड "ब"

(एक)–परीक्षा–शुल्क और पोर्टल शुल्क–

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए ₹ 395.30/– सेवा प्रदाता का शुल्क तथा ₹ 200/– परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 395.30+200= ₹ 595.30/– तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क ₹ 395.30/– देय होगा।

(दो)–ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, जिसमें उक्त पदों की भर्ती का ऑनलाईन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application
4. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0–मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर **(022–61306271)** पर तत्काल सम्पर्क करें ।

खण्ड–''स''

(एक)–परीक्षा की योजना :– सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा केवल एक चरण में होगी अर्थात् सभी पदों के लिए केवल ऑनलाईन परीक्षा ही आयोजित की जावेगी, जो कि 100 अंकों की होगी।

[signature]

(दो)–प्रवेश पत्र :– सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in में जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि दर्ज करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(तीन)–परीक्षा केन्द्र

1. सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा जबलपुर के ही परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है। परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में अंतिम निर्णय सेवा प्रदाता (Service Provider) का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
2. यदि किसी अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा सत्र (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में माननीय चैयरमैन, एक्जामिनेशन–कम–सिलेक्शन एवं अपॉइन्मेंट कमेटी के अनुमोदन से उक्त परिवर्तन किया जा सकेगा।

(चार)–ऑनलाईन मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम –

सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :–

Post	Subject	Marks	Time
Personal Secretary	English Stenography Test (400 words) + 20 Que. of General English, Sentence Formation etc. + 10 Que. of Computer Application	70+20+10= 100	5 Min. (Dictation) + 25 Min. (Transcription)+ 20 Min. + 10 Min.= 60 Min.
Assistant Grade-3	*Hindi Typing (350 words approx.) + Direct Hindi Dictation Typing (400 words approx.) + Computer Knowledge (10 Ques.) & General English (10 Ques.)*	40+40+20=100	10 Min.+ 10 Min.+ 20 Min.= 40 min
Computer Operator	*Hindi Typing (350 words approx.) + Computer related questions (40 Ques.) + General English (20 Ques.)*	40+40+20=100	10 Min.+ 40 Min.+ 20 Min.= 70 min

नोट :–

(1) परीक्षा के दिनांको एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी।

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने एवं ऑनलाईन टाईपिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) निज सचिव पद प्रवर्ग की ऑनलाईन परीक्षा में इस पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का अँग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 25 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा । डिक्टेशन के पूरे भाग को कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा जिसका प्रिंट–आऊट अभ्यर्थी को नहीं निकालना है। इसी के साथ ही General English, Sentence Formation etc. & Computer Application की परीक्षा भी ऑनलाईन आयोजित की जावेगी, समस्त ऑनलाईन परीक्षा एक साथ ही आयोजित की जावेंगी।

(4) निज सचिव पद प्रवर्ग की ऑनलाईन परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट–बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट–बुक में डिक्टेशन हिन्दी व अंग्रेजी भाषा (Long Hand) में लिखे होने पर **संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।**

(5) निज सचिव की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याँकन में प्रत्येक त्रुटि (गलत शब्द, स्पैलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि) पर 1/2 (0.5) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूँल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 50 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है तो उसे शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

(6) सहायक ग्रेड–3 की ऑनलाईन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग मैटर स्क्रीन में देखकर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं, तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को 40 अंको का हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जावेगा, जोकि लगभग 400 शब्दो का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर कम्प्यूटर में सीधे टाईप करना होगा। इसके पश्चात् सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्न जो कि 20 अंकों के होंगे उन्हें ऑनलाईन ही हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 40 मिनिट का होगा। ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन सी.पी.सी.टी. के मापदंडों के अनुसार किया जावेगा तथा सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर ज्ञान के प्रश्नों का मूल्याँकन भी ऑनलाईन ही किया जावेगा।

(7) कम्प्यूटर ऑपरेटर की ऑनलाईन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग मैटर स्क्रीन में देखकर टाईप करना होगा, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं, तत्पश्चात् कम्प्यूटर एवं सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न जो कि 60 (40+20) अंको के होंगे उन्हें ऑनलाईन हल करना होगा। संपूर्ण परीक्षण 70 मिनिट का होगा। हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन सी.पी.सी.टी. के मापदंडों के अनुसार किया जावेगा तथा सामान्य अंग्रेजी व कम्प्यूटर के प्रश्न पत्र का मूल्याँकन भी ऑनलाईन ही किया जावेगा।

(8) सहायक ग्रेड–3 एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में आयोजित ऑनलाईन हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन सी0पी0सी0टी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा एवं टाईपिंग की गति (NWPM) एवं शुद्धता (Accuracy) के आधार पर अंकों की गणना करते हुए उसमें से प्रत्येक छूटे शब्दों एवं प्रत्येक त्रुटियों पर 0.50 अंक काटे जावेंगे साथ ही प्रत्येक बैक–स्पेस पर 0.10 अंक भी काटे जावेंगे, तत्पश्चात् सामान्य अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जावेगी।

(9) अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि ऑनलाईन डायरेक्ट डिक्टेशन एवं ऑनलाईन टाईपिंग के दौरान शोर मचाने वाले अथवा परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से निरर्हित किया जा सकेगा।

(10) समस्त अभ्यर्थियों का हिन्दी टाईपिंग परीक्षण रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) मे ही किया जावेगा। टाईपिंग कम्प्यूटर में अनरिस्ट्रिक्टेड मोड मे की जावेगी।

(11) ऑनलाईन परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(पांच)– <u>अनुचित साधनः–</u>

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।
(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, तांकझाक करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

(छः) – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में यदि परीक्षा उसी दिन या अन्य दिन द्वितीय सत्र मे होती है तो भी परीक्षा देने की अनुमति नही दी जावेगी ।

(3) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाईस, केलकुलेटर, मोबाईल, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच, इलेक्ट्रानिक गैजेट इत्यादि ले जाना प्रतिबंधित है। आवेदक अपने साथ सिर्फ प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, पेन एवं पेन्सिल ले जा सकेगा।

(4) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।

(5) परीक्षार्थियों का बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन परीक्षा केन्द्र पर किया जावेगा।

(सात)– मूल्यांकन पद्धति:–

हिन्दी टाईपिंग का मूल्यांकन सी.पी.सी.टी. द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

(1) अभ्यर्थी को टाईप किये जाने वाला मैटर/Text/Content, Computer Screen पर ऑनलाईन दिखाई देगा, जिसे देखकर उसे उसी Screen में निर्धारित समय में टाईप करना होगा।

(2) Screen पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को Screen पर मिलती रहेगी।

(3) यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत टाईप करता है तो कम्प्यूटर Screen पर वो शब्द लाल हो जायेंगे और यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आगे के सभी शब्द लाल हो जायेंगे।

(4) अभ्यर्थी यदि समय के पहले टाईपिंग कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे Submit कर सकता है, अन्यथा 10 मिनट के बाद अपने आप Submit हो जाएगा।

(आठ)–: ऑनलाईन परीक्षा का परिणाम :–

1. उपरोक्त सभी पदों में आयोजित होने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर मुख्य परीक्षा पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविक्लपीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति/स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के अंदर लिखित रूप से प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) के समक्ष कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अन्य माध्यमों से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं स्त्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो।

2. सभी पदों की परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऑनलाईन मुख्य परीक्षा के पश्चात् अंतिम चयन सूची उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(नौ)–: आवेदन पत्र एवं दस्तावेजः –

1. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन व दस्तावेज मंगाये जावेगें जो ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित होने के पश्चात् मेरिट में स्थान प्राप्त करेगें, इस हेतु प्रत्येक पद हेतु लगभग 1:2 के अनुपात में वर्गवार अभ्यर्थियों से एक तिथि निर्धारित करते हुए आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेगें एवं इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजो का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें अपात्र किया जा सकेगा भले ही वे अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार चयनित किये जाने योग्य क्यों न हो।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित **लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।** यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथियों में बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो।** उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह भूल–चूक से अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

(दस)– मार्कशीट/स्कोर कार्डः–

ऑनलाईन परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/स्कोर कार्ड/मार्कशीट म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रकाशित किये जावेंगें जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि तथा अपने मोबाईल पर जनरेटेड O.T.P. दर्ज कराना होगी।

टीपः– 1. ऑनलाईन परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी चरण में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया जाएगा।

(ग्यारह)–यात्रा व्यय का भुगतान–

ऑनलाईन मुख्य परीक्षा हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षा मे उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(बारह):–शुद्धिपत्र:–

उक्त रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन ''शुद्धिपत्र'' के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाईट पर प्रकाशित ''शुद्धिपत्र'' को अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। ''शुद्धिपत्र'' की जानकारी प्राप्त नहीं होने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा।

(तेरह):– सूचना के अधिकार के तहत जानकारी:–

सूचना के अधिकार के तहत ऑनलाईन परीक्षा की उत्तरपुस्तिका (Candidate Response) की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने के पश्चात् से तथा अंतिम चयन सूची जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकता हैं। निज सचिव पद के डिक्टेशन की उत्तर पुस्तिका एवं सहायक ग्रेड–3 पद के डायरेक्ट डिक्टेशन की उत्तरपुस्तिका की जानकारी उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

(चौदह)–विनिष्टीकरण:–

परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं/आन्सर शीट्स आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

7/1/2020
रजिस्ट्रार जनरल

**** ****